प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 02.10.2024

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 20 हजार रु0 का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.08.2024 को नवयुग मार्केट स्थित अम्बेडकर पार्क मे भाई चारा सम्मेलन के दौरान 02 गुटो के समर्थको के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया था जिसमे एक गुट के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर दूसरे गुट के समर्थको द्वारा मारपीट की गयी थी । उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमे नामजद मुख्य अभियुक्त कपिल वेदी को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही का विवरण-

उपरोक्त प्रकरण मे दौराने विवेचना प्रकाश मे आये 04 अभियुक्तो को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है । उक्त अभियोग मे नामजद अभियुक्त कपिल वेदी जो लगातार फरार चल रहा था तथा जिस पर श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर द्वारा 20 हजार का इनाम घोषित किया गया था को आज दिनांक 02.10.2024 को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

कपिल वेदी पुत्र स्व0 श्री राजपाल वेदी निवासी म0न0- एफ 274 पटेल नगर उदल नगर तृतीय थाना सिहानी गेट गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास

कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 01 अभियोग बलवा, 01 अभियोग लॉंकडाउन उल्लंघन, कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम ग्रामीण जोन की दिनांक 02.10.2024 को गौकश के अपराधियो से हुई पुलिस मुठभेड में 02 अभियुक्त (घायल अवस्था मे) सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमन्चा, 02 खोखा कारतूस , 02 जिंदा कारतूस , 01 कार बिना नम्बर प्लेट, गोवध करने के उपकरण 06 छुरी, 01 दाव व 04 रस्सी बरामद

दिनांक 29.09.2024 को वादी उ0नि0 श्री देश दीपक वर्मा द्धारा लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियो द्धारा 3 गौवन्शो को काटने व मौके पर 03 सिर व अवशेष मिलने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी । सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना भोजपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर अज्ञात अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन कर प्वांइट को चिन्हित कर जगह-जगह पर चेकिंग अभियान चलाये गये ।

आज दिनांक 02/10/2024 को थाना भोजपुर पुलिस /स्वाट टीम ग्रामीण गाजियाबाद द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकीमपुर के जंगल में कांबिंग के दौरान गन्ने के खेत के पास, कार सवार 03 गोकशी करने वाले अपराधियों से हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान मौके से अभियुक्तगण आसिफ पुत्र इदरीश उम्र—35 वर्ष निवासी ग्राम उलधन थाना खरखौंदा मेरठ को घाय़ल अवस्था में एंव नुरु पुत्र पृथी उम्र 52 वर्ष निवासी अतरौली थाना भोजपुर गाजियाबाद को मुकीमपुर के जंगल से समय 2.12 बजे गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त वारिस पुत्र आबिद निवासी ग्राम नहाली थाना भोजपुर कमि0 गाज़ियाबाद उम्र 26 वर्ष घायल अवस्था में मुकीमपुर के जंगल में ईख से समय 02.59 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ पर तीनो अभियुक्तो ने बताया कि हम तीनो लोग इस कार से गोकशी करने के लिए आये है और हमारे अन्य साथी गोवंश को लेकर पीछे से आने वाले थे परन्तु आप के द्वारा हम तीनो के गोकशी करने से पूर्व ही पकड़ लिया गया है और हमारे साथी गोवंश लेकर नहीं आ पाये गोवंश काटने के उपकरण हमारी गाड़ी में रखे हुए है। साहब दिनाँक 28/29.09.2024 को रात्रि में 03 बजे के लगभग हम तीनो तथा पशु लाने वाले हमारे अन्य साथी हम सभी ने मिलकर अमीपुर, अगोला एंव मुकीमपुर के जंगल में भी गोकशी की थी तथा गोवंश के अवशेषो को मुकीमपुर व ग्राम अमीपुर के बीच में पडने वाले बम्बे के नाले में फेंक दिया था। तीनो अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि हमारे अन्य साथी गायो को लाने का इन्तज़ाम व गौमांस का परिवहन भी करते थे। हम लोग जिस गाड़ी में गोकशी करने के लिए आये है यह गाड़ी आसिफ की है व इसके अतिरिक्त एक काले रंग की भी गाडी है जो हमारे अन्य साथी की है। अन्य साथियो द्धारा इन्ही गाड़ियो से ही गौमांस का परिवहन किया जाता था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1-आसिफ पुत्र इदरीश उम्र—35 वर्ष निवासी ग्राम उलधन थाना खरखौंदा मेरठ।

2- नुरु पुत्र पृथी उम्र 52 वर्ष निवासी अतरौली थाना भोजपुर गाजियाबाद।

3- वारिस पुत्र आबिद उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम नहाली थाना भोजपुर कमि0 गाज़ियाबाद

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1-दो अवैध तमन्चा, दो खोखा कारतूस व दो ज़िंदा कारतूस .315 बोर

2- एक कार बिना नम्बर प्लेट वेन्टो , गोवध करने के उपकरण 06 छुरी , 01 दाव व 04 रस्सी

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1-आसिफ पुत्र इदरीश निवासी-ग्राम उलधन थाना खरखौंदा मेरठ के विरुद्ध थाना भोजपुर पर गोवध अधिनियम व पुलिस मुठभेड व कमि0 गाजियाबाद के विभिन्न थानो पर चोरी,स्वापक पदार्थ व जनपद मेरठ के विभिन्न थानो पर चोरी,शस्त्र अधिनियम,डकैती,पुलिस मुठभेड व धोखाधडी के अभियोग पंजीकृत है।

2- नुरु पुत्र पृथी उम्र 52 वर्ष निवासी अतरौली थाना भोजपुर गाजियाबाद के विरुद्ध थाना भोजपुर पर गोवध अधिनियम व पुलिस मुठभेड का अभियोग पंजीकृत है।

3- वारिस पुत्र आबिद उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम नहाली थाना भोजपुर कमि0 गाज़ियाबाद के विरुद्ध थाना भोजपुर पर गोवध अधिनियम व पुलिस मुठभेड का अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

- थाना भोजपुर पुलिस कमि0 गाजियाबाद।
- स्वाट टीम ग्रामीण कमि0 गाजियाबाद।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा धर्मान्तरण करने में शामिल अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 01.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक लिखित सूचना प्राप्त हुई कि सैन विहार में पुष्पा नाम की महिला द्वारा वादिया को प्रलोभन देकर धर्मपरिवर्तन कराया जा रहा था। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत उक्त घटना में शामिल अभियुक्ता पुष्पा पत्नी सोनू निवासी गली नं0 12 सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की तलाश की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्ता द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैं ईसाई धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित हूँ तथा मै इस धर्म को मानती हूँ। जिसके चलते मै अन्य लोगो को भी इस धर्म मे जोडना चाहती हूँ तथा अपने मौहल्ले की अन्य महिलाओ को इस धर्म से जोडने के लिए ईसाई धर्म को अपनाने के लिए बाईबिल का पाठ करने के बहाने बुलाती हूं तथा उन महिलाओ को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती हूं।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता</u>

पुष्पा पत्नी सोनू निवासी गली नं0 12 सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

<u>अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा धर्मान्तरण करने में शामिल वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 29.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक लिखित सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली से आने वाला एक पादरी जिसका नाम राजू बताया जा रहा है, प्रलोभन देकर और बीमारी का इलाज कराने के बहाने डूंडाहेडा क्षेत्र मे रहने वाले हिन्दु

समाज के लोगों का धर्मपरिवर्तन करा रहा था । इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 29.09.2024 को ही घटना में शामिल अभियुक्त पंकज पुत्र हरबीर निवासी एकता पब्लिक स्कूल परिसर मेन गली सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को गिरफ्तार किया तथा न्यायिक अभिरक्षा मेंभेजा गया । उक्त घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत उक्त घटना में शामिल अभियुक्तों की तलाश व गिरफ्तारी हेतु थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर टीमों का गठन किया गया ।

आज दिनांक 02.10.2024 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र हरबीर निवासी अतराडा थाना खरखौंदा जिला मेरठ हाल निवासी एकता पब्लिक स्कूल परिसर मेन गली सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर एकता पब्लिक स्कूल सैन बिहार थाना क्रोसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, अग्रिंम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की तलाश की जा रही है ।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि राजू (पादरी) ने हमे ईसाई धर्म मे लोगो का धर्मान्तरण कराने के लिए प्रेरित किया था और इसके बदले मे उनके द्वारा हमे प्रलोभन भी दिया गया था । इसी प्रलोभन के चलते मैने अन्य लोगो को भी इस मुहिम मे जोड लिया और राजू (पादरी) के आश्वासन के अनुसार अन्य लोगो को भी प्रलोभन देकर उनको ईसाई धर्म को अपनाने के लिए हम कुछ लोगो को डूंडाहेडा मे एक प्लॉट मे रविवार के दिन बाईबिल का पाठ करने के बहाने बुलाते है तथा उन लोगो को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते है ।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

सचिन कुमार पुत्र हरबीर निवासी अतराडा थाना खरखौंदा जिला मेरठ हाल निवासी एकता पब्लिक स्कूल परिसर मेन गली सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष ।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 22.09.2024 को थाना मोदीनगर पर श्रीमति संगीता पत्नी अजीत सिंह निवासी गली नम्बर 03 विजयनगर मोदीनगर गाजियाबाद ने एक प्रार्थनापत्र दिया कि खुद के जेठ का लडका 1- आशु पुत्र स्व0 टीटू 2- श्रीमति अशरफी (सास) पत्नी किशनपाल 3- किशनपाल (ससुर) निवासीगण विजयनगर गली नम्बर 03 मोदीनगर गाजियाबाद, हाल निवासी सलारपुर गौतमबुद्धनगर द्वारा आवेदिका संगीता व उसके पति अजीत को ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना तथा जान से मारने की धमकी देना । जिसके संबंध में तत्काल थाना मोदीनगर पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई । तत्पश्चात दिनांक 27.09.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित/ प्रकाश में आये अभियुक्त 1. आशु पुत्र स्व0 टीटू निवासी गली नं0 03 विजयनगर गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल पता सलारपुर, 2. पोलूस मसीह पुत्र स्व0 देवपति मसीह निवासी सी- 267 मोदीपोन कालोनी थाना मोदीनगर, 3. पास्टर रासी बलियार सिंह पुत्र किरण चन्द्र बलियार सिंह मूल निवासी ग्राम व पोस्ट सहरंगा जनपद गजापति (उड़ीसा) हाल पता सलारपुर खादर, सैक्टर 101, नोएडा, गौतमबुद्धनगर 4. छट्ठु कुमार शाह पुत्र सरजू शाह मूल निवासी ग्राम जमरोठ थाना दिनारा जिला रोहताश (बिहार) हाल पता सलारपुर नोएडा दादरी रोड़, गौतमबुद्धनगर को उनके मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया । जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है ।

आज दिनांक 02.10.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त किशनपाल व अभियुक्ता अशरफी निवासीगण गली न0 3 विजयनगर मोदीनगर थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। जिनको न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम/पता

1- अशरफी पत्नी किशनपाल, उम्र करीब 65 वर्ष
2- किशनपाल पुत्र स्व0 वंशी निवासीगण गली न0 3 विजयनगर मोदीनगर थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 72 वर्ष

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त किशनपाल व अभियुक्ता अशरफी उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब हमने अपने पोते आशु पुत्र स्व0 टीटू व पोलूस मसीह व पास्टर रासी बलियार सिंह उपरोक्त अन्य के बहकावे में आकर अपने पुत्र अजीत सिंह जोकि हमारे पैतृक मकान विजयनगर गोविन्दपुरी मोदीनगर में ही रहता है को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बोला था।

अपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद।

आज दिनांक 02.10.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अदनान पुत्र जब्बार निवासी सी 1/15 डीएलएफ शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को भौपुरा कट थाना शालीमार गार्डन से एक अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अदनान पुत्र जब्बार उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त अदनान पुत्र जब्बार उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने यह पिस्टल दिल्ली से एक चलते फिरते व्यक्ति से सस्ते दाम में खरीद ली थी। अभियुक्त अदनान से पिस्टल रखने का लाइसेंस मांगा गया तो पिस्टल का लाइसेंस दिखा नहीं पाया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अदनान पुत्र जब्बार निवासी सी 1/15 डीएलएफ शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>
एक अवैध पिस्टल बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>
थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना हुआ एक मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 01.10.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त चेतन पुत्र श्री मुकेश कुमार निवासी डिफेन्स कॉलोनी भौपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद मूल पता जाटव मोहल्ला भौपुरा थाना टीलामोड़ क गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को कोयल एन्कलेव आशीर्वाद ग्रीन बैंकट हॉल के पास से छीना हुआ मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त चेतन पुत्र श्री मुकेश कुमार उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>
गिरफ्तार अभियुक्त चेतन पुत्र श्री मुकेश कुमार उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि यह मोबाइल फोन मैंने दो हफ्ते पहले रात्रि के समय तुलसीनिकेतन धर्मकांटा के पास से एक व्यक्ति से छीना था। मोबाइल फोन के कवर में जो आधार कार्ड, एटीएम कार्ड रखे थे वो मैने फैंक दिये थे और जो 5,300/- रूपये रखे थे वो मैने खर्च कर दिये है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>
चेतन पुत्र श्री मुकेश कुमार निवासी डिफेन्स कॉलोनी भौपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद मूल पता जाटव मोहल्ला भौपुरा थाना टीलामोड़ क गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>
छीना हुआ एक मोबाइल फोन बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>
गिरफ्तार अभियुक्त चेतन पुत्र श्री मुकेश कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली गाजियाबाद पर लूट के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>
थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।